न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम, आई.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 48/2023

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एल.आर.एक्ट

पेमी उर्फ जमना बाई पत्नी खेमाराम, पुत्री रणजीतराम उम्र 69 वर्ष जाति नायक निवासी 30 एपीडी तह0 अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

—— वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

—— प्रतिवादी

उपस्थित– अधिवक्ता श्री गुरप्रीत सिंह (वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.10.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीया उपरोक्त वर्णित पते की स्थाई निवासी है तथा वादीया का पेशा काश्तकारी है। वादीया का जीवन निर्वाह केवल खेती आय पर निर्भर है। वादीया का रजि० पता जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है, वह वही है जो शीर्षक वाद पत्र में दर्ज है, वाद पत्र दो प्रतियों में पेश है, वाद के समर्थन में वादीया का शपथ पत्र संलग्न है। वादीया के नाम से चक 8 सी बडी, पटवार हल्का दुल्लापुर केरी, भू० अभि० नि० क्षेत्र शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0 91/66, मु0न0 58 के 1.265 हेक्टेयर में से 6/253 हिस्सा, चक 6 डी बडी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 63/41, मु० न० 12 के 1.550 हेक्टेयर में से 219/1550 हिस्सा, चक 6 डी बडी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 57/39, मु0 न0 12 के 1.550 हेक्टेयर में से 22/155 हिस्सा एवं चक 6 डी बडी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 13/7, मु० न० 12 के 1.550 हेक्टेयर में से 219/1550 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां संलग्न है। वादीया का सही नाम जमना बाई है मगर वादीया को पीहर में घर पर पेमी के नाम से पुकारने के कारण जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम कर्मचारीगण माल की गलती से पेमी दर्ज हो गया है। ग्राम पंचायत मदेरां के उपसरपंच व सरपंच तथा ग्राम पंचायत 30 एपीडी के वार्ड पंच व सरपंच ने प्रमाण–पत्र लिखकर दिये है कि पेमी व जमना बाई दोनों नाम एक ही औरत के है, इसे दोनों नामों से जाना जाता है, हम इसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, असल दोनों प्रमाण पत्र संलग्न है। वादीया का आधार कार्ड व पहचान पत्र बना हुआ जिनमें वादीया का नाम जमना है, वादीया के पति का राशन कार्ड बना हुआ है जिसमें वादीया का नाम जमना देवी है, आधार कार्ड, पहचान पत्र व राशन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न है। वादीया उपरोक्त कृषि भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहती है मगर जमाबंदी राजस्व [illegible] की गलती के कारण वादीया को हर कार्य में भारी दिक्कत [illegible] नाम की दुरूस्ती की जानी न्यायहित में आवश्यक है। वादीया ने [illegible] प्रतिवादी से सम्पर्क कर नाम की दुरूस्ती करने का निवेदन किया मगर प्रतिवादी ने साफ इंकार कर स्पष्ट कहा कि श्रीमान न्यायालय से आदेश लाने पर ही नाम की दुरूस्ती की जा सकेगी, अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:52:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

यही वाद कारण है, अतः वादीया के लिए दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, अतः वाद वादीया श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है तथा तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है। लिहाजा वाद वादीया प्रस्तुत कर श्रीमानजी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वाद वादीया निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:–

(क) डिक्री घोषणा एवं दुरुस्ती इस अमर की सादिर की जावे कि पेमी उर्फ जमना बाई दोनों एक ही औरत के नाम है, अतः राजस्व रिकॉर्ड में जहां–जहां वादीया का नाम पेमी दर्ज है, वहां–वहां पेमी उर्फ जमना बाई दर्ज किया जावे ।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो वादीया के हित में हो प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिकॉर्ड के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 8 सी बडी, पटवार हल्का दुल्लापुर केरी भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 91/66, जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 6 डी बडी, पटवार हल्का दुल्लापुर केरी भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 63/41, जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 6 डी बडी, पटवार हल्का दुल्लापुर केरी भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 57/39, जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 6 डी बडी, पटवार हल्का दुल्लापुर केरी भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 13/7, की प्रतियां पेश की। वादीया द्वारा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य– जमनाबाई पत्नी खेमा राम के नाम से आधार कार्ड की प्रति, जमनाबाई पत्नी खेमा राम के नाम से निर्वाचन पहचान पत्र की प्रति, सरदारा राम के नाम से परिवार राशन कार्ड की प्रति, जमनाबाई पत्नी खेमा राम के नाम से जन आधार की प्रतियां पेश की। कार्यालय ग्राम पंचायत मदेरां द्वारा जारी प्रमाण पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत 30 ए.पी.डी. पंचायत समिति अनूपगढ़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया गया जिसमें जमनाबाई उर्फ पेमी एक ही महिला का नाम होना बताया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया गया।

–::आदेश ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 ग्राम 8 सी बडी, पटवार हल्का दुल्लापुर केरी भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 91/66, जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 6 डी बडी, पटवार हल्का दुल्लापुर केरी भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 63/41, जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 6 डी बडी, पटवार हल्का दुल्लापुर केरी भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 57/39, जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 6 डी बडी, पटवार हल्का दुल्लापुर केरी भू.अ.नि. क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 13/7, में वादीया का नाम पेमी पुत्री रणजीतराम के स्थान पर पेमी उर्फ जमना बाई पुत्री रणजीतराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रखी जावे किस्म में कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:52:16 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अनवान सुखविन्द्र कौर बनाम सरकार
वाद मुकदमा नं. 131/2022

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.10.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.23 15:52:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner